



सूचना
का अधिकार

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



पावरग्रिड

के.आ./के.आ./सू.अ/2018/457

दिनांक : 22 नवंबर, 2018

श्री कंचन कुमार,
ग्राम: अशोकनगर,
पोस्ट: नौलखी, भाया: मुरलीगंज,
जिला: पूर्णिया,
बिहार - 852 122

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 22.09.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी।

प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का जवाब अनुबंध - क पर संलग्न हैं।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है :

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सैक्टर - 29, गुडगांव - 122001, हरियाणा
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद।

भवदीय,

(अजय होलानी)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Serial No	RTI Question	Reply to be sent
1	मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड द्वारा उक्त शिकायत की प्रप्ति की तिथि से अब तक क्या कारवाई की गई है। तिथिवार विवरण उपलब्ध कराएं।	जांच जारी है। अतः सूचना अधिनियम 8 (1) (h) के तहत इस सूचना को साझा नहीं किया जा सकता है।
2	सतर्कता अनुभाग, पावरग्रिड जांच के लिये केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रदत्त 90 दिन की समय-सीमा को कितना बढ़ा सकती है। स्पष्ट करें।	यह संबंधित केस पर निर्भर करता है।
3	इस जांच में अत्यधिक विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है। विवरण उपलब्ध कराएं।	जांच जारी है।
4	यदि जांच समाप्त हो गई हो तो रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं।	जांच जारी है।